न्यायालय– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,देवबंद, सहारनपुर।

एस0सी0 सं0 62/2021

राज्य बनाम मिन्टू

मु0अ0सं0 71/ 2019

अन्तर्गत धारा 60(1) आबकारी अधिनियम एवं

धारा 272, 273 भा0दं0सं0

थाना बडगांव,, जिला सहारनपुर

आरोप

मैं सुश्री निधि, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवबंद जिला सहारनपुर आप अभियुक्त मिन्टू को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करती हूँ।

1– यह कि दिनांक 19.03.2019 को समय 21:00 बजे स्थान चन्दपुर मजबता तिराहे अन्तर्गत थाना क्षेत्र बडगांव जनपद सहारनपुर में आप पुलिस थाना बडगांव, जिला सहारनपुर द्वारा चौकिंग के दौरान पकडे गये तथा आपके पास एक प्लास्टिक की जरी कैन में करीब 20 लीटर मिश्रित द्रव शराब अपमिश्रित व सफेद यूरिया 250 ग्राम बरामद हुई। इस प्रकार आपने यह ऐसा अपराध कारित किया जो उत्तर प्रदेश उत्पाद–शुल्क/ आबकारी अधिनियम की धारा 60(1)के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2. यह कि उपरोक्त दिनांक,समय एवं स्थान पर आपने मिलकर विक्रय के लिए आशयित अवैध देशी शराब में रेक्टीफाइड की मिलावट कर अपायकर बनाया जो स्वास्थ्य के लिऐ हानिकारक पेय पदार्थ है। इस प्रकार आपने यह ऐसा अपराध कारित किया जो भा0दं0सं0 धारा 272 के अन्तर्गत दण्ड़नीय अपराध है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3 – यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आपने मिलकर अवैध देशी शराब में रेक्टीफाइड की मिलावट कर उसे अपायकर बनाया तथा यह जानते हुए कि यह शराब अपायकर है उसे विक्रय हेतु अपने पास रखे थे। इस प्रकार आपने यह ऐसा अपराध कारित किया जो भा0दं0सं0 धारा 273 के अन्तर्गत दण्ड़नीय अपराध है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि उक्त आरोप की बाबत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये ।

दिनांकः 28.07.2022 (सुश्री निधि)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

देवबन्द, सहारनपुर ।

उक्त आरोप अभियुक्त को पढकर सुनाये व समझाये गये । अभियुक्त ने आरोपो से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की ।

28.07.2022 (सुश्री निधि)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

देवबन्द, सहारनपुर ।